

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2017/2434

दिनांक - 08/11/17

प्रार्थीगण  
1 विरधाराम 2 सांवलाराम पिसरान  
राणाराम जाति रबारी निवासी आदर्श  
बस्ती, विशाला तहसील व जिला  
बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 दीपाराम 2 रूगाराम 3 गोर्धनराम  
पिसरान हीराराम जाति जाट 4 रतनाराम  
पुत्र शिवलाल 5 रूगाराम 6 बगताराम 7  
हरीयाराम पिसरान दलाराम 8 शेराराम 9  
जेठाराम 10 मासिंगाराम पिसरान राणाराम  
11 मोता पत्नी राणाराम 12 हरजीराम 13  
जेताराम पिसरान फुसाराम जाति देवासी  
निवासी आदर्श बस्ती विशाला तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 1308/2017

दिनांक- 07-11-17

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श बस्ती विशाला पटवार क्षेत्र विशाला तहसील व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 697 रकबा 25.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र  
के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमाकन व  
पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा  
मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक - रीडर/2017/2435-98

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य  
अंकित करें।
2. पटवारी विशाला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय  
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. विरधाराम पुत्र राणाराम वगैराह जाति रबारी निवासी आदर्श बस्ती, विशाला तहसील  
व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी दीपाराम पुत्र हीराराम वगैराह जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती, विशाला  
तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 08/11/17

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर